Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में महिला मानवाधिकार : दशा एवं दिशा

डॉ. जे.के.संत*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – निश्चित रूप से 21 वीं शताब्दी के प्रथम दशक के अन्तिम चरण में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महा सचिव श्री कुर्त वॉल्डहाइम द्वारा अभिव्यक्त उन विचारों से अपनी बात प्रारम्भ करना चाहेगें जो उन्होंने 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करने के समय प्रस्तुत किए थे। इसमें उन्होने कहा था कि 'यह वर्ष मनाने की घोषणा ऐसे समय में की गई है जबकि संसार के व्यक्ति समानता को अच्छी तरह से समझनें लगें है। स्त्री–पुरूष समानता का दर्जा मौलिक मानवाधिकारों की दृष्टि से ही नहीं अपितु सामाजिक आर्थिक विकास व विश्व शांति के लिए भी आवश्यक है आज सम्पूर्ण जगत में नारीवाद का आन्दोलन चल रहा है। इरान, ईराक, इण्डोनेशिया, पाक एवं फिलीपीन्स के साथ–साथ कुवैत अरब,ओमान कतरा तथा यमन में महिलाधिकार की हवाओं ने महिलाओं के लिए राजनीति का दरवाजा खोल दिया है। भारत भी इस बयार से अछूता नहीं है। यद्यपि भारतीय समाज की मूल वैचारिक दृष्टि अभी भी पारम्परागत दायरे से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है। तथापि यदि हम पश्चिमी संसार को छोड़ दे तो कह सकते है की एशिया के अनेक देशों की तुलना में भारत में महिलाओं में अधिक राजनीतिक चेतना देखी जा सकती है।

श्री लंका के बाद भारत ही वह देश है जहॉ राजनीति दृष्टि से सर्वोच्च दोनों पदों राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री पद तक महिलाएँ पहुँच चुकी है। श्रीमती नजमा हेपतुल्ला राज्य सभा मे उपसभापति का पद सुशोभित कर चुकी हैं। इन्दिरा गांधी से लेकर इन्डा नूयी (सीइओ पेप्सिको अमेरिका) तक भारतीय महिलाओं की एक लम्बी श्रृंखला है जिसके अन्तर्गत वसुन्ध राजे ,ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती, राबड़ी देवी, सुषमा स्वराज, वृन्दा करांत, उमाभारती तथा शीला दीक्षित जैसी विभूतियों को सम्मिलित किया जा सकता है,जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में पुरूषों के एकाधिपत्य को प्रभावी चुनौती दी है।

लेकिन इसके साथ तस्वीर का दूसरा पहलू भी है ,यदि भारत मे अमृता पंचोली जैसी लड़कियां आई.आई.एम. की प्रवक्ता बन सकती है। तो अनिल पटेल जैसा विकृत मानसिकता वाला ड्राइवर उसकी हत्या भी कर देता है। चौदह साल की रूचिका को उसके परिवार वाले टेनिस खेलने की स्वतन्त्रता दे सकते है तो डी.जी.पी.राठौर जैसे लोग उसके साथ दुराचार भी कर लेते है। जिससे रूचिक को आत्महत्या करनी पड़ती है और उसके सपनों का अन्त हो जाता है। लेकिन इससक भी चिन्तनी विषय है भारत में स्त्री–पुरूष अनुपात की अवस्था तथा शिक्षा की स्थिति जो अब भी शोचनीय है।

विश्व महिला अधिकार आन्दोलन एवं भारत – भारत में महिलाओं की स्थिति में क्रमिक परिवर्तन को समझने के लिए विश्व स्तर पर इस दिशा में हुए प्रयासों को समझना जरूरी है। ऐतिहासिक दृष्टि से महिला अधिकारों के प्रति आन्दोलनों की पृष्ठभूमि को 1992 ई. से जोडा जा सकता है। जब आधुनिक नारीवादी को आंदोलन की संस्थापक मेरी वुल्स्टन क्रैप्ट की महिला अधिकारों पर चर्चित पुस्तक विण्डीकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमन प्रकाशित हुई। इसने पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को उनका उचित स्थान और महत्व प्रदान करने के प्रयत्नों की क्रान्तिकारी शुरूआत दी। इस क्रम में अमेरिका की ही एक अन्य नारीवादी नेत्री सराह हेल का जिक्र करना आवश्यक है। न्यू हेम्पशाय में 24 अक्टूबर 1788 को जन्म लेने वाली सराह नें 'लेडीज मैगजीन' और 'लेडी बुक' नामक पत्रिकाओं के माध्यम से अमेरिका में नारी चेतना को जागृत किया। यह सराह हेल के प्रयत्नों का ही नतीजा था। कि एलिजावेथ नामक एक अमेरिकी युवती को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला और वह अमेरिका की पहली महिला डॉक्टर बनने मे सफल रही। 20 वी सदी में बेट्टी फ्राइडन ने यही कार्य 'फेमिनिस्ट मिस्टिक' से किया। उनका मानना था कि 'पुरूष समाज में मनो वैज्ञानिक दबाव डालकर स्त्रियों की मौलिक प्रतिभा कुण्डित की जाती है। इसके पूर्व 8 मार्च 1857 को न्यूयार्क शहर के लोअर ईस्ट क्षेत्र में शोषण एवं बदहाली से त्रस्त महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए बगावत की जिसके स्मृति में आज 8 मार्च कों 'अंतरराष्टीयमहिला दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिशा में 1869 में प्रकाशित ब्रिटिश विचारक जे.एस.मिल की पुस्तक 'द सब्जेक्शन ऑफ वीमन' का विशेष महत्व है जिसमे उन्होने महिलाओं को पुरूषों के समान ही मताधिकार प्रदान करने की माँग की वैसे ही जैसे प्लेटो ने ' द रिपप्लिक में स्त्री–पुरूष समानता की बात की थी। ज्ञातव्य है कि प्लेटो ने एथेन्स की परम्परागत मान्यताओं के विपरीत इस बात पर बल दिया कि शारीरिक भिन्नता होते हुए भी महिलाओं को पुरूषों के समान ही सार्वजनिक अधिकार मिलने चाहिए क्योंकि सदगुण के स्तर पर दोनों एक समान हैं। उनके अनुसार स्त्रियों को ग्रहस्थ तक सीमित रखने से न केवल उनकी प्रतिभा कुण्डित होती है,अपितु उनकी योग्यता से समाज लाभान्वित होने से भी वंचित हो जाता है। यह अलग बात है कि इस विचार के लिए अरस्तू ने अपने गुरू की व्यापक आलोचना की। अरस्तू के अनुसार स्त्रियां पुरूषों से सिर्फ शरीरिक स्तर पर ही भिन्न होती हैं। अपितु गुणात्मक दृष्टि से भी भिन्न होती है। उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी नही होती कि वे नागरिक कर्त्तव्यों का पालन कर सके। अत: स्त्रियों को राजनीति के दलदल में नही उतरना चाहिए। मध्ययुगीन धार्मिक वातावरण में समाज के ऊपर राज्य व चर्च का दोहरा

नियन्त्रण इतना व्यापक था कि इसमें महिला अधिकारों की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी।

आधुनिक युग में जे.एस.मिल ही वह प्रथम व्यक्ति था जिसने महिलाधिकारों के प्रति सशक्त आवाज उठाई। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में महिला मुक्ति का तीव्र आन्दोलन प्रारम्भ हुआ जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा। वास्तव में 1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ जहॉ एक तरफ स्वतन्त्रता आन्दोलन ठोस आधार प्राप्त करता है वही दूसरी ओर इस आन्दोलन के माध्यम से भारत में महिला अधिकारों प्राप्ति का रास्ता भी खुल गया। यहॉ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 19 वीं शताब्दी के पूर्व में ही राजाराम मोहन राय ने स्त्रियों को अधिकार सम्पन्न बनाने का विचार प्रस्तुत किया था जिसे दयानन्द सरस्वती व स्वामी विवेकानन्द ने तार्किक आधार प्रदान किया। किन्तु यह तथ्य भी उतना ही सत्य है कि भारत में 19 वीं शताब्दी में महिलाओं का सामाजिक स्थान सम्मान जनक न होने के बावजूद 20 वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में स्वाधीनता संग्राम में व्यापक व अभूतपूर्व भूमिका का निर्वहन करना वास्तव में अद्भुत सुखानुभूति है। डॉ. रोमिला थापर ने सत्य ही कहा है कि 'महिलाओं की अभिवृति में परिवर्तन लाने की वर्तमान समय में प्रमुख प्रेरणा स्वाधीनता संग्राम द्वारा प्राप्त हुई है। इस आन्दोलन का प्रवर्तन 19 वी शताब्दी में हुआ तथा इसके सामाजिक प्रभाव अब तक हम पर हो रहे है। इस संदर्भ में राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है ,उन्होंने विलायत में अपने अध्ययन के दौरान इस खुले समाज को देखा। वे उस नारी आन्दोलन के भी प्रत्यक्ष साथी थे जो महिला मताधिकार के प्रश्न को लेकर ब्रिटेन में चल रहा था जिसके दबाव में 1918 में ब्रिटिश महिलाओं को मत देने का अधिकार मिल गया। यह अलग बात है कि वहॉ वयस्क मताधिकार 1928 में लागू हुआ। महात्मा गॉधी ने दक्षिणी अफ्रीका के अपने सत्याग्रहों में महिलाओं को सम्बद्ध किया था और भारत आने के बाद इस दिशा में और भी सक्रिय ठंग से कार्य किया। इस दृष्टिकोण से 1917 का वर्ष भारत में महिलाधिकारों का एक प्रमुख सोपान मान जा सकता है। भारत में न सिर्फ 'विमान इंण्डिका ऐसोसिएशन' की स्थापना हुई अपितु श्रीमती सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई। 18 दिसम्बर 1911 को श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में तथा थिपो सोफिकल सोसाइटी की सदस्य एवं भारत में स्त्री मताधिकार की प्रणेता श्रीमती मारग्रेट कजिन्स के साथ महिलाओं का एक प्रतिनिधि मण्डल भारत सचिव माण्टेग्यू व वायसराय चेम्सफोर्ड से मिलकर पुरूषों के समान मताधिकार की मांग की। जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः 1921 में मद्रास विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर पुरूषों के समान योग्यता पर महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया। स्वतन्त्र भारत के संविधान में महिलाओं को व्यापक संरक्षण दिया गया।

भारत में महिला अधिकार : सवैधानिक एवं कानूनी स्वरूप– भारत में महिला अधिकारों के दृष्टिकोण से स्वतन्त्र भारत के संविधान को भील के पत्थर के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसने न केवल सार्वजनिक जीवन में स्त्री– पुरूष असमानता को समाप्त किया बल्कि संविधान के माध्यम से महिला अधिकारों को संरक्षण प्रदान कर महिलाओं कों गरिमा भी प्रदान की। भारतीय संविधान निर्माताओं पर मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा बहुत अधिक प्रभाव था। संविधान में प्रदान कियें गये मौलिक अधिकारों पर इसकी छाप स्पष्ट परिलक्षित होती है संविधान में महिलाओं के अधिकारों और प्रतिष्ठा को बनायें रखने के लिए कई प्रावधान किये गये है।

इनमें से कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं:–

संविधान का अनुच्छेद	**महिलाओं के लिए उपयोगी प्रावधान**
अनुच्छेद 14	राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता कानून के समक्ष समानता का कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा चाहे वह महिला हो या पुरूष
अनुच्छेद 15 (3)	महिलाओं एवं बच्चों को कुछ विशेष सुविधा प्रदान की गई है।
अनुच्छेद 16	लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता।
अनुच्छेद 19	समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता
अनुच्छेद 23–24	नारी क्रय–विक्रय तथा बेगार प्रथा पर रोक
अनुच्छेद 39 (घ)	स्त्री–पुरूष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है।

निष्कर्ष– महिलओं को अन्य व्यक्तियों की तरह समान मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का आंनद लेने का अधिकार है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत राज्य पक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिये सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता होती है। महिलाओं के मानवाधिकारों का कानून द्वारा सम्मान किया जाये और महिलाओं के अधिकारों के नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले भेदभाव असमानताओं और प्रथाओं को समाप्त किया जाये अंतर्राराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय मानवाधिकार प्रणालियों के भीतर विशेष दर्जा और सुरक्षा प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियां लिंक के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करती है और राज्यों से सभी क्षेत्रो में महिलाओं के अधिकारो की सुरक्षा और प्राप्ति सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. महेन्द्र कुमार मिश्रा – भारत में मानव अधिकार
2. सरोज परमार – महिलाएँ और मानवाधिकार
3. श्री ए.आनन्द: ह्यूमन राइट्यूट एट दी थ्रेसोल्ड ऑफ दी न्यू मिलेनियम, जनरल ऑफ द इण्डियन लॉ इन्स्टीट्यूट, 1998
4. प्रज्ञा शर्मा : भारतीय समाज में नारी,पोइन्टर पब्लिशर्स, 2001
5. प्रोविजनल पापुलेशन टोटल्स,इण्डिया सेन्र्स ऑफ इण्डिया, 2001
6. आर.एस.अग्रवाल ,ह्यूमन राईट्स इन द मॉर्डन वर्ल्ड, 1974
7. डी.डी.बसु ,ह्यूमन राईट्स इन द मॉर्डन वर्ल्ड, 1974
8. जे.सी.जौहरी,ह्यूमन राईट्स इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर : टूवार्ड परफेक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाईफ, 1996
9. सुभाष,कश्यप ,ह्यूमन राइट्स : इश्यूज एंड प्रस्पेक्टिवज, 1995

****